**न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज**

**बंटवारा वाद सं0–26/2021**

हरिशंकर प्रसाद.....वादी

बनाम

मु0 श्वेता देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| DATE | ORDER | REMARKS |
|---|---|---|
| **11.11.2024** | उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 05.04.2023 को दिये गये आवेदन के आदेश हेतु नियत है। वादी की ओर से आदेश 01 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दिया गया है।<br>**आदेश (ORDER)**<br>वादी की ओर से दिनांक 05.04.2023 को आदेश 01 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिया गया। आवेदन में कहा गया कि वादी ने उपरोक्त वाद वादपत्र के मद सं0–02 एवं 03 में दी गई भूमि में अपने विधिक हिस्से वास्ते दाखिल किया है। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया है तथा प्रतिवादीगण वाद की जानकारी रखते हेतु समय से उपस्थित नहीं हुये है। प्रतिवादी सं0–01 मु0 श्वेता देवी वादग्रस्त भूमि मुन्दर्जे मद सं0–02 अर्जी नालिश का अंश निबंधित दस्तावेज दिनांक 22.07.2022 के द्वारा नरेश ठाकुर, मुकेश ठाकुर, नितेश ठाकुर के पक्ष में एक निबंधित बयनामा निष्पादित की है। उपरोक्त बयनामा जाली, फरेबी, फर्जी एवं शुन्य है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बयनामा दस्तावेज दिनांक 22.07.2022 के आधार पर नरेश ठाकुर वगैरह वाद के उचित एवं आवश्यक पक्षकार है, लेहाजा उन्हें पक्षकार बनाना आवश्यक है। श्रीमान् के द्वारा उपरोक्त केताओ को पक्षकार बनाने का आदेश नही दिया जाता तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि न्यायहित में उपरोक्त केताओं को प्रतिवादी बनाने की कृपा करें।<br>प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया बल्कि आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया।<br>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। | |

**न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज**

**बंटवारा वाद सं0–26/2021**

हरिशंकर प्रसाद.....वादी

बनाम

मु0 श्वेता देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 11.11.2024** | अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–01 मु0 श्वेता देवी द्वारा वाद लबंन के दौरान वादग्रस्त खाता, खेसरा से जमीन का विक्रय किया गया है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी व्यक्तियों को वाद में पक्षकार बनाया जाना चाहिए जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। क्रेतागण प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार होना प्रतीत होते है। वादी द्वारा प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा निबंधित विक्रय विलेखों की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति भी दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 05.04.2023 को स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन में वर्णित क्रेताओं को प्रतिवादी कॉलम में क्रमानुसार पक्षकार बनावें।<br>वाद दिनांक 13.12.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।<br><br>लेखापित<br><br>अवर न्यायाधीश<br>नरकटियागंज | |